उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–6
संख्या सीएम–134 पी / छः–पु0–6–14–100(9) / 14
लखनऊ, दिनांक 10 सितम्बर, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 588 पी / छः–पु–6–12–1198 / 99, दिनांक 22–6–2012 में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित घटनाओं में उनके सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित अनुग्रह धनराशि अनुमन्य है।

2– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22–6–2012 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ–4 में अंकित धनराशि मृतक के आश्रितों को दिनांक 22–8–2014 से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

क्र. सं. 1	घटना 2	पूर्व में अनुमन्य धनराशि 3	वर्तमान में स्वीकृत किये जाने वाली धनराशि 4
(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	रू0 10,00,000 / –	रू0 20,00,000 / –
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रू0 10,00,000 / –	रू0 20,00,000 / –
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छूट–पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000 / –	रू0 20,00,000 / –
(घ)	अति दुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयो / दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपिदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तब्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	रू0 15,00,000 / –	रू0 20,00,000 / –

—2 / —

3— उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट–पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/ आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर मृत्यु हो जाय तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासियों जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत हों तथा जिनकी कर्तव्यपालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाय, उनके आश्रितों को भी उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित अनुग्रह धनराशि दिनांक 22–8–2014 से स्वीकृत किये जाने का भी एतद्द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है।

4— यह आदेश दिनांक 22–8–2014 से प्रभावी होगा।

5— उक्त शासनादेश दिनांक 22–6–2012 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

राजीव अग्रवाल
सचिव।

संख्या सीएम–134 (1) पी/छः–पु0–6–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— समस्त जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
3— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4— वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
5— वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
6— वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
7— गृह (पुलिस) अनुभाग–1/2/7/10
8— गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग–1/2
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(के0एल0 वर्मा)
अनु सचिव।